न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–38/21

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

:निर्णय: दिनांक 16.08.2021

अप्रार्थी सं01 सहीराम पुत्र भागीरथ बिश्नोई ने जवाब पेश किया है कि विवादित आराजी चक 17 केवाईडी के मु0नं0 54/1 और 54/9 की कुल 43.12 बीघा भूमि में 1/2 हिस्सा उसके द्वारा सन् 1998 में भीखाराम पुत्र गंगाराम से खरीदी थी। इसलिए उक्त जमीन अप्रार्थी की स्व अर्जित संपति है। इस जमीन में प्रार्थी का कोई हक नहीं बनता है।

अप्रार्थी का यह कथन है प्रार्थी 10 साल से अप्रार्थी से अलग रह रहा है। जमीन की सार संभाल भी अप्रार्थी सं0 1 ही करता है।

प्रार्थी द्वारा ऐसी कोई दलील/साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे अप्रार्थी सं0 1 के कथनों का खंडन हो सके।

इसलिए अदालत का फैसला है कि विवादित आराजी के सिलसिले में 06/04/21 की जारी किया गया स्टे ऑर्डर खारिज किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला आदेश की पालना करवाएं।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:48:13 IST
Reason: SelfAttested